पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रु० 16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 14 फरवरी, 2015 ई० (माघ 25, 1936 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2014 ई०

संख्या F-9(23)/RG/UERC/2014/1758–विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (zo) सपठित धारा 127 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समस्त सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने हेतु प्रकिया) विनियम, 2014 होगा।

(2) ये विनियम शासकीय गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे।

2. **परिभाषाएं**

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमो में :–

(a) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(b) 'अपीलीय प्राधिकारी' से अधिनियम की धारा 176 की उप–धारा (2) के खण्ड (u) के अनुसार अधिसूचित प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(c) 'निर्धारण अधिकारी' से अधिनियम की धारा 126 के अधीन इस रूप मे 'पदाभिहित अधिकारी अभिप्रेत है;

(d) 'आयोग' से उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(e) इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां' जिन्हें' विशिष्ट रूप से परिभाषित नही किया गया किंतु अधिनियम मे परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उनके लिये अधिनियम मे है।

3. अपील दायर करना

(1) अधिनियम की धारा 126 के अधीन एक निर्धारण अधिकारी द्वारा दिये गये अंतिम आदेश से पीड़ित/असंतुष्ट कोई व्यक्ति, उक्त आदेश से 30 दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

(2) अपील, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के विनिर्दिष्ट प्रपत्र में दायर की जायेगी।

(3) अपील के ज्ञापन पर इन विनियमों के साथ संलग्न सूची के विनिर्दिष्ट तरीके से हस्ताक्षर किये जायेंगे और सत्यापन किया जायेगा।

(4) किसी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि निर्धारित की गई राशि के आधे के बराबर राशि नकद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा अनुज्ञापी के पास जमा करा कर इसका दस्तावेजी साक्ष्य अपील के साथ संलग्न न किया जाये।

(5) अपील के साथ अपीलीय अधिकारी के पक्ष मे देय बैंक ड्राफ्ट या पे–आर्डर के रूप में निम्नलिखित फीस संलग्न की जायेगी:–

निर्धारण की गई राशि	**फीस**
रु0 1,00,000 तक	निर्धारित राशि का 3%, न्यूनतम रु0 500/–
रु0 1,00,000 से अधिक	निर्धारित राशि का 1.5%, न्यूनतम रु0 3000/–

(6) निर्धारण अधिकारी द्वारा पक्षों की सहमति से पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध कोई अपील बाकी नहीं रहेगी।

4. अपील का निपटारा

(1) अपीलीय प्राधिकारी, अपील दायर करने की तिथि से 60 दिन के भीतर पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात अपील का निपटारा करेगा। आदेश की प्रति निर्धारण अधिकारी और अपीलार्थी को भेजी जायेगी। अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

(2) निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश की तिथि से तीस दिन के पश्चात अपीलीय प्राधिकारी के अंतिम आदेश पर अंतरीय राशि पर 16% प्रति वर्ष ब्याज प्रभारित किया जायेगा तथा प्रत्येक 6 माह बाद इसे चक्रवृद्धि किया जायेगा।

(3) यदि अपीलीय प्राधिकारी यह तय करता है कि विद्युत के किसी अप्राधिकृत उपयोग का मामला स्थापित नहीं हुआ है, एवं अनुज्ञापी द्वारा आगे कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है तथा अपीलार्थी द्वारा जमा की गई राशि, जमा की तिथि से ठीक आगे के महीनो के विद्युत बिलो में समायोजन के द्वारा, वसूली गई राशि समायोजित हो जाने तक की अवधि हेतु 16% प्रति वर्ष की दर से, प्रत्येक छः माह में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वापस की जायेगी। अपीलार्थी, अनुज्ञापी द्वारा ऐसी राशि का भुगतान किये जाने तक 16% प्रति वर्ष व प्रति छः माह में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ अपीलार्थी द्वारा जमा की गई राशि की नकद वापसी का भी विकल्प दे सकता है।

(4) यदि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित देय राशि, उस व्यक्ति द्वारा पहले से जमा की गई राशि से कम है तो अतिरिक्त राशि, ऐसी जमा की तिथि से वास्तविक समायोजन की तिथि तक 16% प्रति वर्ष और प्रत्येक छः माह में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ ठीक अगले महीनों के बिलो के समायोजन द्वारा वापस की जायेगी।

5. विविध

(1) अधिनियम के उपबंधों और इन विनियमों के अधीन आयोग इन विनियमो का क्रियान्वयन और विभिन्न मामलों, जिन्हें निर्देशित करने के लिये इन विनियमों द्वारा आयोग को सक्षम किया गया है, और उससे प्रासंगिक व अनुषांगिक मामलों पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में समय समय पर आदेश और निर्देश जारी कर सकता है।

(2) आयोग किसी भी समय इस विनियम मे किसी भी प्रावधान को सम्मिलित, परिवर्तन, आशोधन या संशोधन कर सकता है।

(3) यदि इस विनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने मे कोई कठिनाई आती है तो आयोग, साधारण या विशेष आदेश द्वारा उन बातों, जो कठिनाइयाँ दूर करने के लिये आयोग की सलाह में आवश्यक या समीचीन हैं, को करने या दायित्व हेतु अपीलीय प्राधिकारी को आदेशित कर सकता है।

अनुसूची
(विनियम 3(2) तथा (3) देखें)

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 127 के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील

____________ के अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील (AFO)

AFO No. _______ 200 __

पक्ष
(उपभोक्ता का नाम और पता) .... अपीलार्थी

तथा

1. (वितरण अनुज्ञापी का नाम और पता)
2. (निर्धारण अधिकारी का नाम और पता) .... प्रतिवादी

1. आवेदक का विवरण
   (a) अपीलार्थी का पूरा नाम :
   (b) अपीलार्थी का पूरा पता :
   (c) संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता :
   (d) संपर्क टेलीफोन नंबर :
   फैक्स नं0 :
   ई—मेल :

2. निर्धारण अधिकारी का विवरण
   (a) नाम और पदनाम :
   (b) पता :

3. संबंधित परिसर का पता :

4. उपभोक्ता सं0 और सेवा की श्रेणी :

5. संविदाकृत भार / मांग

6. निरीक्षण का दिनांक :

7. निरीक्षण के समय पर संयोजित भार :

8. अभिकथित अप्राधिकृत अपयोग की प्रकृति :

9. अपीलार्थी पर अस्थायी निर्धारण आदेश तामील किये जाने की तिथि :

10. क्या अपीलार्थी ने अपील प्राधिकारी की फीस का भुगतान कर दिया है? हां / नहीं :

11. क्या अपीलार्थी ने विवादित राशि का आधा भुगतान कर दिया है? यदि हां तो भुगतान का दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें।

12. क्या अंतिम आदेश पर अपीलार्थी की कोई सहमति थी?

13. अपील के आधार

(मामलो के उन आधारों का विवरण दें जिन पर अपील दायर की गई हैं तथा कारण दें कि अंतिम आदेश स्थिर योग्य क्यों नही है)

प्रार्थना

अतः यह प्रार्थना है कि ____

____

अपीलार्थी

सत्यापन

मैं, ... (अपीलार्थी का नाम) यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त अपील के ज्ञापन मे दिये गये तथ्य मेरी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास में सत्य हैं, इसका कोई भी अंश मिथ्या नहीं है तथा उन मे कुछ भी छुपाया नहीं गया हैं।

.... के .... दिन .... पर सत्यापित किया

स्थान :
दिनांक :

अपीलार्थी का नाम और हस्ताक्षर

आयोग के आदेश द्वारा,

नीरज सती,
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।